178
आरई–अज– 162

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

क्रमांकः अविविनिलि/अ.अ. (योजना)/प्र. 0229 . दिनांक 16 APR 2008

निगम द्वारा कृषकों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए समय–समय पर कृषि विद्युत कनेक्शनों की स्वैच्छिक भार वृद्धि का अवसर प्रदान किया जाता रहा है। स्वैच्छिक भार वृद्धि की अनुमति स्थापित कनेक्शन के कुए की मोटर की क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु ही दी जाती हैं । परन्तु निगम के ध्यान में आया है कि कई कृषक स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना में स्थापित कूप के कनेक्शन के अलावा दूसरे कूप की मोटर चलाने हेतु भी मात्र धरोहर राशि जमा कराकर भार वृद्धि करा लेते है, एवं बाद में भार विभाजन कर दूसरे कूप को भी चला लेते है। जो स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की मूल भावना के प्रतिकूल है।

अतः उक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं।

1. स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की अवधि के अलावा यदि उपभोक्ता के अपने उसी कुए पर स्थापित मोटर की क्षमता वृद्धि के कारण भार बढाया जावेगा तो भार वृद्धि के चार्जेज कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संकलित 30.9.2007) के बिन्दु सं. 23 (ii) के अनुसार लिए जावेगे।

2. स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की अवधि के दौरान योजना के प्रावधान स्थापित कनेक्शन के कूप की मोटर की भार वृद्धि के लिए ही लागू होगे। स्वैच्छिक भार वृद्धि कराकर भार विभाजन के द्वारा उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में बने दूसरे कूप को चलाने की स्थिति में कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संकलित 30.9.2007) के बिन्दु सं. 23 (iii) के अनुसार चार्जेज देय होगे।

3. यदि कोई कृषक दूसरे कुएँ पर, जो उसी खसरा /खेत परिसर/मुरब्बा में स्थित हो, में दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढवाना चाहता है तो उसका भार बढाया जा सकता है, अर्थात एक ही कनेक्शन से दो कुए चलाये जा सकते है। इसके लिए कृषि कनेक्शन नीति 2004(संकलित 30.9.2007) के बिन्दु सं. 23 (iii) के अनुसार चार्जेज लिए जावेगे।

4. परन्तु यदि दूसरा कूप यदि उसी खसरा /खेत परिसर/मुरब्बा में स्थित नहीं है तो दूसरी मोटर चलाने के लिए भार वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। कृषक इस तरह से भार वृद्धि कराकर दूसरे खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में बने कूप पर मोटर चलाते पाया जावेगा तो भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–135 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(जी.आर. चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक (वित्त) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
7. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावेधिक--सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. 'वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री केसूचनार्थ।

15/4

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)